भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 251

गुरूवार, 08 दिसम्बर, 2022/17 अग्रहायण, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी

251. श्री विजय पाल सिंह तोमरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ख) देश में एबीआरवाई के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में इस योजना ने क्या उपलब्धि हासिल की है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के प्रारंभ से दिनांक 28.11.2022 तक 8180.00 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं और इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपये के लाभ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या (28.11.2022 तक)		
राज्य का नाम	**लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या**	**लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36	477
आंध्र प्रदेश	4025	166059
अरुणाचल प्रदेश	17	514
असम	659	19751
बिहार	1205	27951
चंडीगढ़	1575	64467
छत्तीसगढ़	2929	84814
दिल्ली	3128	225942
गोवा	538	20812
गुजरात	15484	641689
हरियाणा	7604	397214
हिमाचल प्रदेश	2151	83058
जम्मू और कश्मीर	885	19339
झारखंड	2232	62492
कर्नाटक	10933	483494
केरल	2716	95923
लद्दाख	16	186
मध्य प्रदेश	6202	203996
महाराष्ट्र	22336	974021
मणिपुर	56	1409
मेघालय	37	1208
मिजोरम	15	377
नागालैंड	17	234
ओडिशा	4176	89023
पंजाब	6507	170237
राजस्थान	11412	325050
सिक्किम	112	3763
तमिलनाडु	16615	812807
तेलंगाना	5349	281114
त्रिपुरा	150	5440
उत्तर प्रदेश	12350	430552
उत्तराखंड	2409	93180
पश्चिम बंगाल	7654	226239
सकल योग	**151,530**	**6,012,832**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 258

गुरूवार, 08 दिसम्बर, 2022 / 17 अग्रहायण, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 की वैधता

258. श्री एम. शनमुगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 की वैधता को बरकरार रखते हुए 2014 के संशोधनों में कट-ऑफ तारीख को हटाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय और इसे लागू करने की योजना को ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनाई है;

(घ) क्या इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और संदेह, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए श्रमिक संघ संगठनों के साथ कोई परामर्श किया जा रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में यह माना है कि दिनांक 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609 (अ) में निहित प्रावधान कानूनी और वैध हैं। निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की जांच की जा रही है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1049

गुरूवार, 15 दिसम्बर, 2022 / 24 अग्रहायण, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना की समीक्षा

1049. श्री मस्थान राव बीडा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था;

(ख) क्या सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार ने ईपीएस की कार्यप्रणाली के संबंध में कोई अन्य सुधार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): जी, हां। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना सा.का.नि. क्रमांक 132(अ) के माध्यम से ऐसे संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरे होने के बाद उन सदस्यों के संबंध में जिन्होंने योजना के पूर्ववर्ती पैरा 12क के तहत 25 सितंबर, 2008 को या उससे पहले पेंशन के संराशीकरण का लाभ उठाया था, सामान्य पेंशन की बहाली के संबंध में एक सिफारिश लागू की है। हालांकि, ईपीएस, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,000/- रुपये प्रति माह करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसा कि उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा सिफारिश की गई है।

(घ) और (ङ): योजनाओं की समीक्षा और संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 15 में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सहित 9 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की परिकल्पना की गई है। हालाँकि, उक्त संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1500

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2022/29 अग्रहायण, 1944 (शक)

ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने से मनाही

1500. श्री मुजीबुल्ला खान:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ की पेंशन बढ़ाने की श्रम मंत्रालय की सिफारिश को क्यों ठुकरा दिया है;

(ख) यदि पेंशन में कोई वृद्धि अपेक्षित नहीं है, तो इस कठिन समय में सरकार पेंशनभोगियों की किस प्रकार सहायता करने की योजना बना रही है; और

(ग) क्या कोई राहत मिलने की उम्मीद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) अत्यधिक वित्तीय भार, कोविड-19 से बढ़ी वित्तीय बाधाओं और केन्द्र के राजकोष पर बोझ को ध्यान में रखते हुए, ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ख) और (ग) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक 'परिभाषित अंशदायी- परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि की समग्र राशि (i) कर्मचारियों द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर के अंशदान से तथा (ii) वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर पर केंद्र सरकार द्वारा 15,000/-रुपए प्रति माह तक की राशि के बजट सहयोग के अंशदान से तैयार की गई है। इस योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचयन से किया जाता है। निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है जैसा कि ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत अधिदेशित है। वर्ष 2000 के बाद से यह निधि बीमांकिक घाटे में चली गई। तथापि, सरकार ने ईपीएस, 1995 के तहत पहली बार वर्ष 2014 में पेंशनभोगियों को बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम 1,000 /- रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए सालाना प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% के बजटीय सहयोग के अतिरिक्त थी।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1855

गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष, 1944 (शक)

ईपीएफ पेंशन योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1855. श्री इलामारम करीम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 4 नवम्बर के निर्णय की जानकारी है;

(ख) सरकार इस निर्णय को कब तक लागू करेगी और ईपीएफओ को बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए कब तक कार्रवाई करने का निर्देश देगी;और

(ग) आज की तारीख के अनुसार ईपीएफओ के पास कितनी संचित निधि उपलब्ध है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निहित निर्देशों का अवलोकन किया जा रहा है।

(ग): दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास उपलब्ध संचित निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	राशि (करोड रुपये में)
1.	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952	11,37,096.72
2.	कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	6,89,210.72
3.	कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976	37,828.56
कुल		18,64,136.00

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1862

गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष, 1944 (शक)

ईपीएफ पेंशन योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1862. डॉ. जॉन ब्रिटास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन योजना पर दिए निर्णय के संबंध में कार्रवाई करने हेतु सरकार के लिए कोई समय -सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ईपीएफ और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए टाइम लाइन के विभिन्न सेट निर्धारित किए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(i) 1.16% अतिरिक्त अंशदान का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए सांविधिक आधार को दूर करने के लिए छ: महीने।

(ii) सभी कर्मचारी जिन्होंने स्कीम के अनुच्छेद 11(4) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, परन्तु इसका प्रयोग करने के हकदार थे, परन्तु प्राधिकारियों द्वारा की गई कट-ऑफ तिथि की व्याख्या के कारण ऐसा नही कर सके, द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु चार महीने।

(iii) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अनुच्छेद 11(3) (संशोधन-पूर्व) के परन्तुक की व्याख्या से संबंधित आर.सी. गुप्ता मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.10.2016 के निर्णय में निहित निर्देशों को लागू करने के लिए आठ सप्ताह।

(ग): माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के विधिक, वित्तीय, बीमांकिक और लॉजिस्टिक निहितार्थ हैं।

*****